न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 52/2019

1. प्रेमदेवी पत्नी स्व0 श्री बंशीधर जाति जाट निवासी नूनियां गोठडा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
2. धर्मवीर पुत्र स्व0 श्री बंशीधर जाति जाट निवासी नूनियां गोठडा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— आवेदकगण

बनाम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी नूनियां गोठडा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
2. श्री जगदीश प्रसाद गौड, उपखण्ड अधिकारी चिडावा जिला झुंझुनू।

—— अनावेदकगण

उपस्थितः–

1. श्री सुशील कुमार– अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री संदीप बिजारणीयां – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 की ओर से।

– – –

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी प्रेमदेवी बनाम सुभाष चन्द्र आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधि. मुकदमा नम्बर 89/2018

– – –

आदेश

दिनांक 22.08.2019

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चिडावा के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 89/2018 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में तारीख पेशी दिनांक 02.04.2019 अनोवदकगण प्रेमदेवी वगैराह ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र व प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की है जिसमे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदक ने कोई जबाब पेश नही किया और सीधे ही बहस के लिये दिनांक 03.04.2019 नियत की गई। उक्त प्रकरण मे गत तारीख पेशी दिनांक 03.04.2019 को दबाब पूर्वक प्रार्थना पत्र 251 ए0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनावेदक व आवेदक को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जबरन सुना गया तथा दिनांक 03.04.2019 को ही न्यायालय का समय समाप्त होने के समय पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड ने सार्वजनिक रूप से इजलास मे यह कहा कि मैं इस प्रकरण मे आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जबरदस्ती रास्ता कायम करने का आदेश पारित करूंगा। उससे पहले दिनांक 02.04.2019 को अनावेदक सुभाषचन्द ने आवेदकगण प्रेमदेवी को धमकी दी कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है कि

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

आपके प्रकरण का निस्तारण शीघ्र ही स्वीकार कर दिनांक 08.04.2019 को रास्ता कायम करवा दूंगा। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड अनावेदक के प्रभाव मे है तथा प्रकरण को हमारी आवेदक की प्रारम्भिक आपत्ति खारिज कर स्वीकार करने पर आमदा है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से अनावेदकगण को निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी निश्चित रूप से अनावेदक के प्रभाव मे है तथा अनावेदक का प्रार्थना पत्र 251 ए0 बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाये दिनांक 08.04.2019 को स्वीकार करेगा। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र उनवानी सुभाषचन्द बनाम प्रेमदेवी वगैराह मुकदमा न0 89/2018 मय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 36/2019 उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु अन्तरित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी के तथ्यों को निराधार बाबते हुये उनवानी सुभाषचन्द बनाम प्रेमदेवी वगैराह मुकदमा न0 89/2018 मय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 36/2019 अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अपनी कोई आपति नही होना अंकित किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी चिडावा अप्रार्थीगण सं0 1 के प्रभाव में है। दिनांक 02.04.2019 अनोवदकगण प्रेमदेवी वगैराह ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र व प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की है जिसमे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदक ने कोई जबाब पेश नही किया और सीधे ही बहस के लिये दिनांक 03.04.2019 नियत की गई। उक्त प्रकरण मे गत तारीख पेशी दिनांक 03.04.2019 को दबाब पूर्वक प्रार्थना पत्र 251 ए0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनावेदक व आवेदक को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जबरन सुना गया तथा दिनांक 03.042019 को ही न्यायालय का समय समाप्त होने के समय पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड ने सार्वजनिक रूप से इजलास मे यह कहा कि मैं इस प्रकरण मे आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जबरदस्ती रास्ता कायम करने का आदेश पारित करूंगा। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी निश्चित रूप से अनावेदक के प्रभाव मे है तथा अनावेदक का प्रार्थना पत्र 251 ए0 बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाये दिनांक 08.04.2019 को स्वीकार करेगा। अतः प्रार्थना पत्र को विचारण के लिये अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित है।

विद्वान अभिभाषक अनावेदक संख्या 1 ने दौराने बहस अतः प्रार्थना पत्र को विचारण के लिये अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अनावेदक संख्या 2 द्वारा विधिसम्मत तरीके से आक्षेपित प्रकरण में पूर्व निष्ठा से कार्यवाही बिना किसी प्रकार के पक्षपात के की जा रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोप मनघढंत व निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण किये जाने की बाबत वकील आवेदक एवं वकील अनावेदक ने सहमति जाहिर की। ऐसी स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र उनवानी सुभाषचन्द बनाम प्रेमदेवी वगैराह मुकदमा न0 89/2018 आगामी तारीख मय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 36/2019 को उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु अन्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनवानी मुकदमा सुभाषचन्द बनाम प्रेमदेवी वगैराह मुकदमा न0 89/2018 मय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 36/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा मु0न0 89/2018 मय मु0न0 36/2019 के उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को भिजवा देवें। निर्णय की प्रति दोनो न्यायालयों को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के न्यायालय में दिनांक 16.09.2019 को उपस्थित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू